न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 212/2020

1. राजकुमार पुत्र तुलाराम जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. तुलाराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
2. महावीर सिंह पुत्र तुलाराम जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
3. जयवीर पुत्र तुलाराम जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
4. जयनारायण पुत्र तुलाराम जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
5. रामेश्वरलाल पुत्र तुलाराम जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
6. धर्मसिंह पुत्र तुलाराम जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
7. सुरेश पुत्र तुलाराम जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
8. चन्द्रमुखी पुत्री तुलाराम जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
9. संजीव पुत्र स्व0 राममूर्ति पुत्री तुलाराम जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा हाल आबाद करनपुरा।
10. प्रियंका पुत्री स्व0 राममूर्ति पुत्री तुलाराम जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा हाल आबाद करनपुरा।
11. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री नरेन्द्र शर्मा : वादी

वकील श्री राममूर्ति ताखर: प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 20.1.2022

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा आसन के खाता सं0 23/28 के खसरा सं0 9 की 11.2550है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 2/3 हिस्सा व रोही आसन के खाता सं0 101/19 के खसरा सं0 104 की 1.3030है0, खसरा सं0 105 की 1.2770है0, खसरा सं0 106 की 7.3860है0, खसरा सं0 194 की 8.9920है0, खसरा सं0 195 की 9.5600है0 कुल 28.5180है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा ढाका के खाता सं0 34/32 के खसरा सं0 56 की 6.6440है0, खसरा सं0 69 की 1.020है0 कुल 7.6260है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 2/3 हिस्सा बारानी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा मंगलाराम की खातेदारी हुआ करती थी। मंगलाराम के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 तुलाराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

Scanned with CamScanner

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीकी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीका जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही वाद मुखासमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1, 2, 8, 8, 9, 10 के द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। वकील वादी ने प्रतिवादी सं0 3 ता 5 व 7 को तर्क अंकित किया। प्रतिवादी सं0 11 स्टेट की ओर से जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर उनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 राजकुमार पुत्र तुलाराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य मे सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी आसन खाता सं0 23/28 प्रदर्श 1 जमाबंदी रोही आसन खाता सं0 101/19 प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही ढाका खाता सं0 34/32 प्रदर्श 3, मृत्यु प्रमाण पत्र राममुर्ति प्रदर्श 4, सदस्य प्रमाण पत्र राममूर्ति प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है।अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही आसन व ढाका के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी आसन खाता सं0 23/28 प्रदर्श 1 जमाबंदी रोही आसन खाता सं0 101/19 प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही ढाका खाता सं0 34/32 प्रदर्श 3, मृत्यु प्रमाण पत्र राममुर्ति प्रदर्श 4, सदस्य प्रमाण पत्र राममूर्ति प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये। जिसमें वारिस प्रमाण के अनुसार तुलाराम के स्वत पुत्र राजकुमार, महावीर, जयवीर, जयनारायण, रामेश्वरलाल, धर्मसिंह व सुरेश व दो पुत्री चन्द्रमुखी व स्व0 राममुर्ति (चूंकि राममूर्ति फौत हो चुकी है जिसके जायज वारिसान के रूप मे संजीव व प्रियंका जो प्रतिवादी सं0 9 व 10 के रूप में पक्षकार है) तथा इनके अलावा कोई वारिस नही होना अंकित है। तथा प्रदर्श 2 से वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 10 का जन्म से हक हिस्सा निहित है । प्रतिवादी सं0 1 व 8 ता 10 ने अपना हक हिस्सा उक्त वाद भूमे में से वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 7 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा आसन के खाता सं0 23/28 के खसरा सं0 9 की 11.2550है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 2/3 हिस्सा व रोही आसन के खाता सं0 101/19 के खसरा सं0 104 की 1.3030है0, खसरा सं0 105 की 1.2770है0, खसरा सं0 106 की 7.3860है0, खसरा सं0 194 की 8.9920है0

Scanned with CamScanner

खसरा सं0 195 की 9.5600है0 कुल 28.5180है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम से 1/3 हिस्सा व रोही मोजा ढाका के खाता सं0 34/32 के खसरा सं0 56 की 6.6440है0, खसरा सं0 69 की 1.020है0 कुल 7.6260है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 2/3 हिस्सा बारानी खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। में प्रतिवादी सं0 1 तुलाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी राजकुमार व प्रतिवादी सं0 2 महावीर सिंह, प्रतिवादी सं0 3 जयवीर, प्रतिवादी सं0 4 जयनारायण, प्रतिवादी सं0 5रामेश्वरलाल, प्रतिवादी सं0 6 धर्मसिंह व प्रतिवादी सं0 सुरेश को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 व 8 ता 10 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 7 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने बयदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.1.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 212/2020

1. राजकुमार पुत्र तुलाराम जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा। :– वादी

ब ना म

1 तुलाराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
2 महावीर सिंह पुत्र तुलाराम जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
3 जयवीर पुत्र तुलाराम जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
4 जयनारायण पुत्र तुलाराम जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
5 रामेश्वरलाल पुत्र तुलाराम जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
6 धर्मसिंह पुत्र तुलाराम जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
7 सुरेश पुत्र तुलाराम जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
8 चन्द्रमुखी पुत्री तुलाराम जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
9 संजीव पुत्र स्व0 राममूर्ति पुत्री तुलाराम जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा हाल आबाद करनपुरा।
10 प्रियंका पुत्री स्व0 राममूर्ति पुत्री तुलाराम जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा हाल आबाद करनपुरा।
11 राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा। – प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री राममूर्ति सारार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा आसन के खाता सं0 23/28 के खसरा सं0 9 की 11.2550है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 2/3 हिस्सा व रोही आसन के खाता सं0 101/19 के खसरा सं0 104 की 1.3030है0, खसरा सं0 105 की 1.2770है0, खसरा सं0 106 की 7.3860है0, खसरा सं0 194 की 8.9920है0, खसरा सं0 195 की 9.5600है0 कुल 28.5180है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम से 1/3 हिस्सा व रोही मोजा ढाका के खाता सं0 34/32 के खसरा सं0 56 की 6.6140है0, खसरा सं0 69 की 1.0120है0 कुल 7.6260है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 2/3 हिस्सा बारानी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। में प्रतिवादी सं0 1 तुलाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी राजकुमार व प्रतिवादी सं0 2 महावीर सिंह, प्रतिवादी सं0 3 जयवीर, प्रतिवादी सं0 4 जयनारायण, प्रतिवादी सं0 5 रामेश्वरलाल, प्रतिवादी सं0 6 धर्मसिंह व प्रतिवादी सं0 7 सुरेश को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 व 8 ता 10 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 7 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने वयदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.1.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़